न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– **02/2018** दायर तारीख :– **18.01.2018**

1- मालीराम पुत्र सोहनलाल
2- यतिन्द्र कुमार पुत्र अर्जुनलाल
} जाती मीणा निवासी सताना तहसील विराटनगर

—: *प्रार्थीगण*

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए चिकित्सा प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैड तहसील विराटनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर जिला जयपुर
4. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय विराटनगर जिला जयपुर

— *अप्रार्थीगण*

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2)

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार कौशिक अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.07.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम मैड के हाल आराजी खसरा नम्बर 3453/0.09, 3458/0.28, 3121/0.67, 5937/3458/0.36 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा प्रार्थी अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैड के खसरा नम्बर 3451/0.80 मे से रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थी के द्वारा कालित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी अपनी आराजी भूमि मे से दोगुनी भूमि अप्रार्थी को देने हेतु तैयार है।

26/7/18
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या संवत् 2066–2069 आदि पेश किये।

3. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार तथा पक्षकारान को सुना गया।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2070–2073 ग्राम मैड के हाल आराजी खसरा नम्बर 3453/0.09, 3458/0.28, 3121/0.67, 5937/3458/0.36 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैड के खसरा नम्बर 3451/0.80 मे से रास्ता चाहा है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थी के खसरा नम्बर 3451/0.80 की भूमि मे से है। तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट मय निकटतम सुलभ रास्ते का प्रस्ताव चाहा गया।

5. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्रस्ताव ग्राम मैड के आराजी खसरा नम्बर 3451/0.80 हैक्टेयर की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पिछे की तरफ प्रार्थी की खातेदारी भूमि 3453, 3458, 3121, 5937/3458 स्थित है, जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि मे से पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे 30 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है, जिसकी लम्बाई 100 मीटर है, जिसका क्षेत्र 915 वर्गमीटर है। जहां, तक प्रतिकर का प्रश्न है प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि की दक्षिणी डोल से लगती हुई है मे से रास्ते में गई भूमि की दोगुनी भूमि देने को तैयार है। रास्ते की भूमि का माप 915 वर्गमीटर होता है, जिसकी दोगुनी भूमि 1830 वर्गमीटर प्रतिकर के रूप में खसरा नम्बर 3421/0.67 हैक्टेयर मे से 1100 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 5937/3458/0.36 हैक्टेयर मे से 730 वर्गमीटर कुल 1830 वर्गमीटर देने हेतु सहमत है।

6. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यंकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को अप्रार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खसरा नम्बर 3451/0.80 हैक्टेयर की भूमि मे से पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे 30 फुट चौडा एवं लम्बाई 100 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 915 वर्गमीटर है रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं

सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में गई भूमि की प्रतिकार का संबंध है, जहां, तक प्रतिकर का प्रश्न है प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि की दक्षिणी डोल से लगती हुई है मे से रास्ते में गई भूमि की दोगुनी भूमि देने को तैयार है। रास्ते की भूमि का माप 915 वर्गमीटर होता है, जिसकी दोगुनी भूमि 1830 वर्गमीटर प्रतिकर के रूप में खसरा नम्बर 3421/0.67 हैक्टेयर मे से 1100 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 5937/3458/0.36 हैक्टेयर मे से 730 वर्गमीटर कुल 1830 वर्गमीटर देने हेतु सहमत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम मैड तहसील विराटनगर मे स्थित अप्रार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैड की खातेदारी खसरा नम्बर 3451/0.80 हैक्टेयर पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे 30 फुट चौडाई एवं 100 मीटर लम्बाई कुल क्षेत्रफल 915 वर्गमीटर भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थी की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में घोषित रास्ता की भूमि 915 वर्गमीटर के बदले प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3421/0.67 हैक्टेयर मे से 1100 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 5937/3458/0.36 हैक्टेयर मे से 730 वर्गमीटर कुल भूमि 1830 वर्गमीटर भूमि का अवसान कर अप्रार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम अमल दरामद किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की पूर्ण पालना कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/7/18

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)